बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना–15, दिनांक 8.7.22

संख्या–7/स्था0–04–16/2019सा0प्र0 11503/परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–66, 1984) की धारा–23 सह पठित धारा–4, 5 एवं 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, पटना उच्च न्यायालय, पटना के परामर्श से, बिहार परिवार न्यायालय नियमावली, 2011 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

बिहार परिवार न्यायालय (संशोधन) नियमावली, 2022

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभः–**

(1) यह नियमावली बिहार परिवार न्यायालय (संशोधन) नियमावली, 2022 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **बिहार परिवार न्यायालय नियमावली, 2011 के नियम–9(3) का प्रतिस्थापन।**–नियम–9(3) को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

"न्यायालय उपनियम–1 के अधीन अधिसूचित अधिकृत व्यक्तियों की सूची से, दो परामर्शदाता नियुक्त कर सकेगा।"

3. **बिहार परिवार न्यायालय नियमावली, 2011 के नियम–9(6) का प्रतिस्थापन।**–नियम–9(6) को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

"परामर्शदाता अथवा इस नियम के उपनियम–03 के अधीन सहायक किसी व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा प्रति मामला सिर्फ 1500/– (एक हजार पाँच सौ) रुपये की रकम मानदेय के रूप में प्रधान न्यायाधीश द्वारा स्वविवेक से विनिश्चित किए जाने वाले समुचित प्रक्रम पर किन्तु किसी भी दशा में निर्णय पारित होने के पूर्व दी जा सकेगी। ऐसा मानदेय समय–समय पर और कम से कम प्रत्येक पाँच वर्षों के बाद पुनरीक्षणीय होगा।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से
08.07.2022
(शालिग्राम पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव।

E:\SEC-07\NOTIFICATION.docx

ज्ञापांक–7 / स्था0–04–16 / 2019सा0प्र0 11503 / पटना–15, दिनांक 8-7-22

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना तथा ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को उक्त अधिसूचना की दो प्रतियाँ सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इसकी 200 (दो सौ) प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

08.07.2022

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–7 / स्था0–04–16 / 2019सा0प्र0 11503 / पटना–15, दिनांक 8-7-22

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना / महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या–13 दिनांक 05.07.2022 के प्रसंग में / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना / सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

08.07.2022

सरकार के अवर सचिव।